

In The Court of Sub-Judge I Jagdishpur, Bhojpur

RAKESH KUMAR-V

T.S-17 / 2023

नेहा पाठक उर्फ नेहा पाण्डेय बनाम नर्वदेश्वर पाठक वगैरह

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
04.04.2026	<p>उभयपक्ष की पैरवी है। वाद के पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित एवं उनके संबंधित विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अभिप्रमाणित संयुक्त संधिपत्र के आलोक में न्यायालय द्वारा दिनांक-03.01.2025 / 20.03.2025 को सिरिस्तेदार से प्रतिवेदन की मांग की गई। तदनुसार, सिरिस्तेदार द्वारा दिनांक-13.05.2025 को प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। सिरिस्तेदार के प्रतिवेदन के अनुसार, “संधिपत्र सुलह योग्य है”</p> <p>संधि के आलोक में वादी एवं प्रतिवादी की ओर से निम्नलिखित साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है-</p> <p>वादी साक्षी संख्या-1 नेहा पाठक उर्फ नेहा पाण्डेय प्रतिवादी साक्षी संख्या-1 नर्वदेश्वर पाठक प्रतिवादी साक्षी संख्या-2 सोनी पाठक उर्फ सोनी पाण्डेय प्रतिवादी साक्षी संख्या-3 मोनी पाठक उर्फ मोनी पाण्डेय प्रतिवादी साक्षी संख्या-4 मधेश्वर पाठक उर्फ ददुल जी</p> <p>उपरोक्त सभी साक्षियों ने अपने-अपने मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में समझौता के तत्व को स्वेच्छा से स्वीकृत किया है तथा यह विशिष्ट रूप से कहा है उभयपक्ष में राजी-खुशी से समझौता हो गया है और स्वेच्छा से संधिपत्र पर हस्ताक्षर बनाया है। आगे उन्होंने यह भी कहा है कि समझौता के आधार पर न्यायालय द्वारा यदि आदेश पारित किया जाता है, तो उन्हें आपत्ति नहीं है।</p> <p>अतएव, उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संधिपत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। तदनुसार, आदेश पारित किया जाता है-</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद सुलहनामा की शर्तों के आधार पर आज्ञापित किया जाता है तथा सुलहनामा आज्ञापित का भाग होगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सुलहनामा के आधार पर पारित इस आदेश का प्रभाव किसी सरकारी संपत्ति पर या किसी सक्षम प्राधिकार अथवा न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं समझा जाएगा। इस आदेश का प्रभाव पक्षकारों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों या स्वत्व आदि पर नहीं होगा तथा पक्षकारों द्वारा विधि द्वारा धारित किसी संपत्ति पर ही उनका अधिकार समझा जाएगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह सुलहनामा किसी नवीन स्वत्व, अधिकार या हित का सृजन नहीं करता है और न ही किसी विधिक अंतरण को प्रभावित करता है और सुलहनामा की कोई भी शर्त भारत में प्रवर्तित विधि के प्रतिकूल होने पर प्रतिकूलता की सीमा तक शून्य होगा वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकार अपना-अपना वाद खर्च स्वयं अभिवहन करेंगे। कार्यालय, नियमानुसार डिक्री पत्र तैयार कर अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।</p> <p style="text-align: right;">लेखापित</p> <p style="text-align: right;">अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर, भोजपुर</p>	